



बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फ़ैक्स :- 2226906, फ़ोन :- 0151-2226902, 0151-2226905

E-mail:- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site www.bikanermc.org

क्रमांक/स्वा./2018/ 10197-10200

20 जून, 2019

—: संशोधित निविदा आदेश :—

पूर्व में कार्यालय पत्रांक स्वा/2018/9379-9384 दिनांक 31.05.2019 के द्वारा जारी ई-निविदा सूचना संख्या 04 वर्ष 2019-21 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है।

| क्र. | पूर्व में जारी | संशोधित (यह पढा जावे) |
|------|--|---|
| 1. | कार्यादेश जारी करने से पूर्व संगठन/संस्थाओं के पास वर्ष 2017-18 में बध्याकरण एवं टीकाकरण करने हेतु उन्हें रखने, ऑपरेशन थियेटर सम्बन्धी इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं उपकरणों की उपलब्धता सम्बन्धित 50/- रु. के स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। | कार्यादेश जारी करने से पूर्व संगठन/संस्था/रजिस्टर्ड प्राइवेट वेटनेरी चिकित्सक के पास वर्ष 2019-21 में बध्याकरण एवं टीकाकरण करने हेतु उन्हें रखने, ऑपरेशन थियेटर सम्बन्धी इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं उपकरणों की उपलब्धता सम्बन्धित 50/- रु. के स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। |
| 2. | भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त/अन्य तत्सम्बन्धि विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो। अथवा संगठन/संस्थाये सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) में पंजीकृत हो अथवा पशु चिकित्सक जिन्होंने वीसीआई से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीवीएससी और ए.एच. की डिग्री प्राप्त कर ली हो तथा जो राजस्थान वेटनेरी कॉउन्सिल (आरवीसी) व वेटनेरी कॉउन्सिल ऑफ इण्डिया (वीसीआई) से पंजिकृत हो। | भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त/अन्य तत्सम्बन्धि विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो। अथवा संगठन/संस्थाये सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) में पंजीकृत हो अथवा पशु चिकित्सक जिन्होंने वीसीआई से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीवीएससी और ए.एच. की डिग्री प्राप्त कर ली हो तथा जो राजस्थान वेटनेरी कॉउन्सिल (आरवीसी) अथवा वेटनेरी कॉउन्सिल ऑफ इण्डिया (वीसीआई) से पंजिकृत हो। |
| 3. | श्वान पकड़ने का वाहन, बीकानेर नगर निगम द्वारा संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा। जिस पर वाहन चालक व डीजल आदि की व्यवस्था संस्था द्वारा अपने स्तर पर की जायेगी। | श्वान पकड़ने का वाहन तथा कार्य हेतु पर्याप्त मात्रा में भूमि बीकानेर नगर निगम द्वारा संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा। जिस पर वाहन चालक व डीजल आदि की व्यवस्था संस्था द्वारा अपने स्तर पर की जायेगी। |

(डॉ. प्रदीप के. गावंडे)_{I.A.S.}
आयुक्त

NOT TO BE PUBLISHED

क्रमांक/स्वा./2018/
प्रतिलिपि :-

20 जून, 2019

1. श्रीमान् जिला कलक्टर कार्यालय नोटिस बोर्ड, बीकानेर।
2. मुख्य लेखाधिकारी बीकानेर नगर निगम।
3. ओसवाल डाटा, बीकानेर नगर निगम को भेजकर लेख है कि संशोधित निविदा आदेश को नगर निगम की वेबसाईट पर प्रकाशन करावें।
4. नोटिस बोर्ड बीकानेर नगर निगम।

(डॉ. प्रदीप के. गावंडे)_{I.A.S.}
आयुक्त